(ख) रेल दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों, जो रेल यात्री हैं अथवा गाड़ी के ऐसे यात्रियों की मृत्यु के मामले में उनके निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि अनुमेय है और वह इस प्रकार है :—

(1) मृत्यु होने पर —5000 रुपये

(2) गंभीर रूप से घायल होने पर —1000 रुपये से 2000 रु० तक

(3) साधारण रूप से घायल होने पर —250 रुपये

रेलवे की गलती के कारण समपार फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में सड़क उपयोगकर्ताओं को अनुमेय अनुग्रह राशि इस प्रकार है :—

मृत्यु होने पर —2000 रुपये
गंभीर रूप से घायल होने पर —750 रुपये

अनुग्रह राशि की दर एक समान है भले ही दुर्घटना का स्थान कोई हो ।

(ग) रेलों पर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए किये गये कुछ महत्वपूर्ण संरक्षा उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) चल-स्टाक, रेलपथ, सिगनल गियरों, पुलों तथा अन्य परिसम्पत्तियों का कार्यक्रमबद्ध आधार पर पुनर्स्थापन ।

(2) आधुनिक प्रौद्योगिकीय साधनों का उपयोग जैसे रेल पटरियों और चल स्टाक धुरों का पराश्रव्य परीक्षण, पथ परिवहन, धुरा काउंटरों, पैनल एवं रूट रिले अन्तर्पाशन, सहायक चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था आदि ।

(3) समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा मोटर वाहन नियमों के अनुपालन के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क तथा कार्य क्रमबद्ध आधार पर ऊंची सड़क पुलों की व्यवस्था ।

(4) सवारी डिब्बों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने के जोखिम तथा समपारों को पार करते समय बरती जाने वाली सावधानी का इश्तहारों तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये शिक्षाप्रद प्रचार करना ।

(5) रेल पटरियों को टूट-फूट का पता लगाने के लिये रेलपथ पर गश्त लगाना तथा तोड़-फोड़ विरोधी उपाय अपनाना ।

(6) रेलों पर गत वर्ष विभिन्न स्तरों पर गहन फील्ड निरीक्षण, प्रचार अभियान आदि तथा संरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं की विशेष जांच करने के लिए वे एक 10-सूत्री कार्रवाई योजना चलायी गयी थी ।

(7) असुरक्षित कार्य-पद्धतियों तथा प्रणाली की कमजोरियों का पता लगाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर विस्तृत निरीक्षण करने के लिये उच्च स्तरीय बहुउद्देशीय संरक्षा दृतिक बल दलों का गठन ।

(घ) इस अवधि के दौरान 27 मामलों में तोड़-फोड़ का पता लगाया गया था । उनका जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जोन का नाम	मामलों की संख्या		
	1985-86	1984-85	1983-84
मध्य	2	—	—
उत्तर	2	1	2
पूर्वोत्तर	—	2	2
पूर्वोत्तर सीमा	—	2	5
दक्षिण	—	—	1
दक्षिण मध्य	—	6	1
दक्षिण पूर्व	—	1	—

नडियाद-कपडवंज रेल लाइन

404. **श्री मिर्जा इर्शादबेग :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नडियाद-मोडासा-कपड़वंज रेल लाइन पर वर्षा के कारण मिट्टी डालने के कार्य का कितना नुकसान हुआ और इसकी मरम्मत पर अनुमानित कितना खर्च होने की संभावना है और क्या इस

परियोजना के लिये अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर परियोजना का कार्य चल रहा है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस परियोजना को पूरा करने में प्राथमिकता दी जाये, यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) मिट्टी संबंधी कार्य को हुई क्षति तथा उसकी मरम्मत पर होने वाले अनुमानित खर्च का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है । इस परियोजना के लिये 1986–87 के बजट में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है । परियोजना का पूरा होना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ग) जी हां । संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस कार्य के लिये धन की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

Financial assistance to the States for non-formal and adult education

405. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state the State-wise financial assistance given by the Central Government to promote non-formal education and adult literacy drive?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE (SHRIMATI KRISHNA SAHI): Although the Central Government provides financial assistance to all the States/Union Territories for the adult literacy drive but the Central assistance to promote non-formal education programme for the children of 9—14 years age-group is restricted to the 9 educationally backward States, i.e., Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. Assistance to these States is given on 50:50 and 90:10 patterns.

During the Sixth Five Year Plan, the assistance given to the State Governments under the Adult Literacy drive and for non-formal education programme has been shown in the Annexure I, II and III. [*See* Appendix CXXXIX, Annexure No. 19, 20 and 21]

Barasat-Bongaon Rail Project

406. SHRI CHITTA BASU:
SHRI RAMKRISHNA MAZUMDER:

Will the Minister of TRANSPORT be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 1084 given in the Rajya Sabha on the 5th March, 1986 and state:

(a) the estimated cost of the Barasat-Bongaon Doubling project of the Sealdah Division of the Eastern Railway;

(b) whether it is a fact that modernisation and expansion of Sealdah station is the condition precedent to the overall improvement of this Section; and

(c) if so, what steps have since been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Rs. 27.82 crores approximately.

(b) and (c) In view of the Circular Railway project, remodelling of Sealdah Station is not very essential. However, one additional platform has already been constructed in Sealdah North Station. In addition, construction of one additional platform in Sealdah South Station, new Coaching Complex at Sealdah Goods Yard and improvement of traffic circulation in Sealdah Station area have been sanctioned.